राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 155/2021 जीसीएमएस नम्बर :– 2021/418

1. शकुन्तला पत्नी प्रभुराम जाति नायक निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. शारदा पुत्री प्रभुराम जाति नायक निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. सन्तोष पुत्री प्रभुराम जाति नायक निवासी निम्बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

............वादीगण

बनाम

1. सत्यवीर पुत्र बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. अरविन्द पुत्र बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. राकेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. गीता पत्नी बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. भगवाना राम पुत्र सांवलराम जाति मेघवाल निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

.............प्रतिवादीगण

दावा बाबत:– खाता विभाजन

–निर्णय– दिनांक:– 8/5/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम निम्बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल खाता संख्या 15 के ख0 न0 147 रकबा 2.12 हैक्टर, के खातेदार कास्तकार अरविन्द पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/12, गीता पत्नी बनवारी लाल हिस्सा 1/12 भगवाना पुत्र

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सांवलराम हिस्सा 1/3, राकेश कुमार पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/12, सत्यवीर सिंह पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/12, समस्त जाति मेघवाल, शकुन्तला पत्नी प्रभुराम हिस्सा 1/9, शारदा पुत्री प्रभुराम हिस्सा 1/9, सन्तोष पुत्री प्रभुराम हिस्सा 1/9 जाति नायक सम्वत 2075 से 2078 दर्ज रिकार्ड है।

2. यह कि विवादित भूमि का पक्षकारान ने आपस में बाहमी बटवारा हो चुका है तथा बाहमी बटवारे के आधार पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से व रिकार्ड अनुसार काबिज कास्त है विवादित भूमि में वादीयागण के हिस्से में 0.7066 हैक्टर भूमि आती है। और वादीयागण सयुक्त रूप से 0.7066 हैक्टर पर काबिज है और उसी अनुसार बाहमी बटवारा कर रखा है तथा इसी अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा इसी अनुसार वादीयागण काबिज कास्त है परन्तु मिटस एण्ड बाउण्ड उक्त भूमि का बटवारा राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है अब वादीयागण अपनी भूमि का खाता विभाजन करवा कर अलहदा रिकार्ड कायम करवाना चाहती हे इसलिए यह दावा खाता विभाजन पेश किया जा रहा है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम निम्बास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 147 रकबा 2.12 हैक्टर में से वादीया संख्या 1 का 1/9 भाग, वादीया संख्या 2 का 1/9 भाग, वादीया संख्या 3 का 1/9 भाग का खाता विभाजन किया जाकर अलहदा लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 29.05.2024 को लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनाक 29.05.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 196 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2257 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव ... किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र ... प्राप्त करें प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम निम्बास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 15, में

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—::आदेश::—

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम निम्बास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 147 रकबा 2.12 हैक्टर में से वादीया संख्या 1 का 1/9 भाग, वादीया संख्या 2 का 1/9 भाग, वादीया संख्या 3 का 1/9 भाग का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 8/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 155/2021

जीसीसीएमएस नम्बर :- 2021/418

शकुन्तला बनाम सत्यवीर आदि

दावा बाबत- घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

-निर्णय-

वादी की ओर से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट को उपस्थित एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निस्तारण के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन का डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम निम्बास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 147 रकबा 2.12 हैक्टर में से वादीया संख्या 1 का 1/9 भाग, वादीया संख्या 2 का 1/9 भाग, वादीया संख्या 3 का 1/9 भाग का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8/5/25 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)